उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या– 3190–औ0सं0/2025–4(ए)/83 **दिनांक 06 नवम्बर, 2025**

प्रबन्ध निदेशक, **ई–मेल/तत्काल कार्यवाही**
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं कानपुर।

विषयः–उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ द्वारा दिनांक 20.11.2025 से चरणबद्ध आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, के पत्र संख्या–ए0एस0/संगठन/2025–27/117 दिनांक 03.11.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय मांगों को लेकर दिनांक 20.11.2025 से निम्नवत् चरणबद्ध आन्दोलन करने का नोटिस दिया गया है:–

क0सं0	दिनांक	आन्दोलन का विवरण
1	20.11.2025	20.11.2025 से 28.11.2025 तक समस्त अभियन्ता ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बाधेंगे और कार्यालय समय के उपरान्त/भोजनावकाश के दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे।
2	24.11.2025	पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0 मुख्यालय मेरठ में पश्चिमांचल के जनपदों के अन्तर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियन्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
3	25.11.2025	दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0 मुख्यालय आगरा में दक्षिणांचल के जनपदों के अन्तर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियन्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
4	26.11.2025	पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0 मुख्यालय वाराणसी में पूर्वान्चल के जनपदों के अन्तर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियन्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
5	27.11.2025	केस्को मुख्यालय कानपुर में केस्को के अन्तर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियन्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
6	28.11.2025	मध्यांचल वि0वि0नि0लि0 मुख्यालय लखनऊ में मध्यांचल के जनपदों के अन्तर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियन्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
7	29.11.2025	अभियन्ता संकल्प दिवस के अवसर पर केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ध्यानाकर्षण के अगले चरण में कार्यक्रम घोषित किये जाएंगे।

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–I/983941–2025 दिनांक 05.06.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश से कारपोरेशन के पत्र संख्या–I/13633/2025–IR–17–159–ए0एस0/67 दिनांक 10.06.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन/आन्दोलन करना नियमतः अनुमन्य नहीं है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ द्वारा दिनांक 20.11.2025 से प्रस्तावित चरणबद्ध आन्दोलन के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को अवकाश न स्वीकृत किया जाय तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 जॉन मथाई)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–3190–औ0सं0/2025, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (वितरण)/(वाणिज्य)/(आई0टी0)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
6. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत जिला/पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने एवं शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार की वीडियोग्राफी कराने हेतु।
8. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

संलग्नक–यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबंधक (औ0स0)

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ

(यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन)
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषदाज्ञा संख्या – 1576–फ/रा0वि0प0(ए)/67
दिनांक 12.04.1972 के तहत मान्यता प्राप्त(पंजीकरण सं0 1636 दिनांक 28 दिसम्बर 1970)
कमरा नं0–08, हाईडिल फील्ड हॉस्टल – 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001
uprvpas, 9027013072(महासचिव), asgeneralsecretary@gmail.com

पत्रांक : ए एस –/संगठन /2025–27/117 दिनांक : 03.11.2025

सेवा में,
अध्यक्ष,
उप्रपाकालि/उप्रपाट्राकालि/यूपीराविउनिलि,
लखनऊ।

विषय : मार्च 2023 की हड़ताल व वर्तमान आंदोलन के फलस्वरुप की गयी समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर अवगत कराना है कि अभियंता संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की दिनांक 02 नवम्बर 2025 को लखनऊ में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि मार्च 2023 की हड़ताल के दौरान व वर्तमान आंदोलन के फलस्वरूप की गयी समस्त उत्पीडनात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस लेने की कृपा करें अन्यथा की स्थिति में प्रदेश के समस्त विद्युत अभियंता लोकतांत्रिक ढंग से ध्यानाकर्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु बाध्य होंगे।

2. अतः हमारा आपसे निवेदन है कि आप निम्न उत्पीडन की कार्यवाहियों को समाप्त करने हेतु अभियंता संघ को 10 नवंबर तक वार्ता हेतु समय प्रदान करने की कृपा करें :–

- मार्च 2023 की हड़ताल के दौरान की गयी समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां यथा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां, स्टेट विजिलेंस की जांच, एस्मा में की गयी एफ0आई0आर0 आदि।
- वर्तमान आंदोलन के फलस्वरुप परामर्श व चार्जशीट के नाम पर एवं अन्य कारणों से की जा रही समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां यथा रोकी गयी प्रोन्नति, स्थायीकरण आदेश आदि तत्काल जारी किये जाएं और आंदोलन के फलस्वरुप उत्पीड़न की दृष्टि से अभियंताओं के किये गए ट्रांसफर निरस्त किये जाएं।

3. यदि उपरोक्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली गयी तो अभियंता संघ 20 नवम्बर से निम्नवत् ध्यानाकर्षण कार्यक्रम करने हेतु बाध्य होगा। :–

- 20 नवम्बर 2025 से 28 नवम्बर 2025 तक समस्त अभियंता ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधेगें और कार्यालय समय के उपरांत/भोजनावकाश के दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे।
- 24 नवम्बर 2025 को पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि. मुख्यालय मेरठ में पश्चिमांचल के जनपदों के अंतर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियंता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
- 25 नवम्बर 2025 को दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि. मुख्यालय आगरा में दक्षिणांचल के जनपदों के अंतर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियंता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
- 26 नवम्बर 2025 को पूर्वांचल वि.वि.नि.लि. मुख्यालय वाराणसी में पूर्वांचल के जनपदों के अंतर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियंता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
- 27 नवम्बर 2025 को केस्को मुख्यालय कानपुर में केस्को के अंतर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियंता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
- 28 नवम्बर 2025 को मध्यांचल वि.वि.नि.लि. मुख्यालय लखनऊ में मध्यांचल के जनपदों के अंतर्गत कार्यरत ऊर्जा निगमों के अभियंता विरोध प्रदर्शन करेंगे।
- 29 नवम्बर 2025 को "अभियंता संकल्प दिवस" के अवसर पर केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ध्यानाकर्षण के अगले चरण के कार्यक्रम घोषित किये जाएंगे।

सादर,

भवदीय,
(जितेन्द्र सिंह गुर्जर)
महासचिव

(Pradeep Kumar)
GM (IR)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उप्र शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उप्रपाकालि/उप्रपाट्राकालि/यूपीराविउनिलि, लखनऊ।

क्रम-संख्या–89

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 5 जून, 2025
ज्येष्ठ 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–2

संख्या I / 983941-2025
लखनऊ, 5 जून, 2025

अधिसूचना
आदेश

प०आ०–90

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय विगत में जारी अधिसूचना संख्या 866 / 24–पी–2–24–1(121) / 04, दिनांक 06.12.2024 को अवक्रमित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1–उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3–उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4–कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, कैस्को, 5–मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6–पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7–पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8–दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा और 9–U.P. Renewable & EV Infrastructure Ltd. लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

आज्ञा से,
राजकुमार,
विशेष सचिव।

(शशी शेखर यादव)
अपर निजी सचिव
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

अपर निजी सचिव
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

GM (IR) Camp
No.....890.......
Date..10/06/25.

(Pradeep Kumar)
GM (IR)

54 RPH (Urja Anubhag-2) 2025 Data 7e

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/983941-2025, dated June 5, 2025 :

No. 1/983941-2025

Dated Lucknow, June 5, 2025

WHEREAS the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966), the Governor, by superseding the previous notification no. 866/24-P-2-24-1(121)/04, dated 06.12.2024, is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the *Gazette*, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, 9. U.P. Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
RAJKUMAR,
Vishesh Sachiv.

पीoएसoयूoपीo–एoपीo 54 राजपत्र–2025–(158)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टीo / ऑफसेट)।
पीoएसoयूoपीo–एoपीo 3 साo ऊर्जा–2025–(159)–250 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टीo / ऑफसेट)।
54 RPH (Urja Anubhag-2) 2023 Data 7c

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-I/13633/2025-IR-17-159—ए0एस0/67 दिनांक 10-06-2025

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/ मध्यांचल/ पश्चिमांचल/ दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि०, एवं केस्को,
वाराणसी/ लखनऊ/ मेरठ/ आगरा एवं कानपुर।

विषय- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-I / 983941—2025 दिनांक 05.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय
PKumar
(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/13633/2025-(ii),औ०सं०/2025, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-I / 983941—2025 दिनांक 05.06.2025 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/एस०एल०डी०सी०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/ वित्त/ वितरण/ वाणिज्य/ कारपोरेट प्लानिंग/आई०टी० उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

7. अपर सचिव-I/ II /III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23-एल०पी० सेन रोड, लखनऊ।
14. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:- यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/13633/2025-(iii),औ०सं०/2025, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/सेवा संघो को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।

संलग्नक:- यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)